न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2010/54** दायर दिनांक 08.06.2010

वादी		प्रतिवादीगण
1. बाबूलाल पुत्र लच्छाराम जाति अहीरों निवासी अहीरों का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर।	बनाम्	1. श्रीकिशन पुत्र रामूराम 2. ललाराम पुत्र रामूराम 3. बीरबल पुत्र लच्छाराम 4. लिछमा देवी बेवा लच्छाराम 5. ईशरराम पुत्र जीवणराम 6. बद्रीराम पुत्र जीवणराम 7. छोटूराम पुत्र जीवणराम समस्त जाति अहीर निवासी अहीरों का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर 8. सुभाषचन्द्रा पुत्र भगवानाराम जाति अहीर निवासी उदयपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर 9. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, व घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती वास्ते कायम किये जाने रास्ता व जरिये आज्ञापक व्यादेश
अन्तर्गत धारा– 53, 188, 88 R.T.Act.

उपस्थित :– पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनांक **28.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अहीरों का बास पटवार क्षेत्र सुदरासन भू.अभिलेख क्षेत्र नुवां तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा बारानी व खसरा नम्बर 346 रकबा 61 बीघा 02 बिस्वा बारानी अलीफ व खसरा नम्बर 653/566 रकबा 00.18 बिस्वा बारानी प्रथम जिसमें खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्ताकार चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के है, जिनका सजरा खानदान है। वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा जो अनुसूची से दर्शाया गया है, जो वाद का भाग है। जिसमें वर्णित मार्क क राजस्व भूमि प्रतिवादी संख्या 05, 06 व 07 के हिस्से में आया हुआ है तथा मार्क ख की राजस्व भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा मार्क ग में प्रतिवादी संख्या 03, 04 व 08 वादी स्वंय का मौखिक व बाहामी मौके पर बंटवारा कर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है व वादी ने अपने हक बंट व कब्जा काश्त की जायगा में से संभावित हिस्सा में से 04 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 08 को विकय करने से आवश्यक पक्षकार बनाया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 03, 04 व 08 अपने हक, बंट व काश्त की भूमि में जाने हेतु एक रास्ता मौके पर अवस्थित है जिसका अबाध व निर्बाध रूप से 30, 40 वर्षो से निरन्तर उपयोग करते आ रहे

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2010/54
दायर दिनांक 08.06..2010, निणर्य दिनांक 28.06.2017
बाबूलाल बनाम श्रीकिशन वगैरा।

है, मौके पर चल रहा है, जिसे वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में मार्क abc से वर्णित किया है। इसी अनुरूप मौके पर रास्ता कायम किया जाना प्रार्थनीय है। कि वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में वर्णित मार्क ख राजस्व भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हक बंट व कब्जा काश्त की भूमि है, जो खसरा नम्बर 342 की भूमि का भाग है तथा इस खेत में आवागमन का रास्ता भी मार्क abc परन्तु जब प्रतिवादीगण को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कानूनी रूप से बंटवारा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को कहा कि में बंटवारा करवाना नहीं चाहता हूं तथा तुम्हारी जो मोखिक व बाहामी बंटवारे की जायगा है, उस पर हम जबरन कब्जा करेंगे। जिसमें वादी के अधिकारों पर खतरें के बादल मण्डराने लग गये है तथा वादी के खेत में आवागमन का एकमात्र रास्ता जो नजरी नक्शें में abc से दर्शाया गया है, को भी प्रतिवादीगण ने बंद करने की एलानियां धमकिां दे रहे है तथा बंद करने पर आमादा है। जिसमें वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा रास्ता की भूमि प्रस्तुत करना लाजमी आया है, जिसमें वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा रास्ते की भूमि व रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत है। कि डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी फरमावें कि वाद में वर्णित पैरा संख्या 04 के अनुसार बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जावे तथा प्रतिवादीगण की स्थाई निषेधाज्ञा वादी की जायगा में हस्तक्षेप न करने की जारी फरमावें। कि वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में वर्णित मार्क abc जायगा को रास्ते की भूमि घोषित की जाकर रेकर्ड में रास्ता अमद दरामद करावें।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कैम्प नुवां में पेश हुआ। पक्षकारान उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। न्याय आपके द्वार कैम्प में वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित आये तथा दोनों पक्षों ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा अनुसूची "अ" में अंकित मार्क ABCD रास्ता कायम करने की स्वीकृति दी। अतः वाद का निर्णय पक्षकारान की सहमति के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सुद्रासन के खसरा सं0 342, 346, 653/566 में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार मार्क ABCD जायगा को रास्ते की भूमि घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प नुवां में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2010/54 दायर दिनांक 08.06.2010

वादी		प्रतिवादीगण
1.बाबूलाल पुत्र लच्छाराम जाति अहीरो निवासी अहीरो का बास, तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. श्रीकिशन पुत्र रामूराम 2. लालाराम पुत्र रामूराम 3. बिरबल पुत्र लच्छाराम 4. लिछमा देवी बेवा लच्छाराम 5. ईशरराम पुत्र जीवणराम 6. बदीराम पुत्र जीवणराम 7. छोटूराम पुत्र जीवणराम समस्त जाति अहीर निवासी अहीरों का बास, तहसील डीडवाना 8. सुभाषचन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति अहीर निवासी उदयपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर। 9. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती वास्ते कायम किये जाने रास्ता व जरिये आज्ञापक व्यादेश अन्तर्गत धारा 53.,188,88

दिनांक 28.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सुद्रासन के खसरा सं0 342, 346, 653/566 में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार मार्क ABCD जायगा को रास्ते की भूमि घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट नुवां में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner